

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन,

अनुदान सं०-83
तेरह अंको का कोड-2515007890401

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण-वितरण अधिकारी,
आगरा, मैनपुरी, बरेली, बदायूँ, फर्रुखाबाद, बलिया, आजमगढ़, अयोध्या, ललितपुर, कानपुर देहात,
सिद्धार्थनगर, महोबा, अम्बेडकरनगर, अमरोहा, हापुड़ तथा शामली।

संख्या- 1/532/2018-1/10/2018 :

लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2019

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना-04-पंचायतीराज संस्थायें-0401-सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-27/2018/971/33-3-2018-100(3)/2017 दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार रूपया-20,64,20,196/- (रूपया बीस करोड़ चौंसठ लाख बीस हजार एक सौ छियानबे मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. प्राविधानित धनराशि को आवंटित कर पीओएल/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2016 दिनांक 03.08.2017 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसे उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष व्यय गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
10. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना-04-पंचायतीराज संस्थायें-0401- सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
11. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

12. कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
13. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
14. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
15. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
16. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
17. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
19. वर्ष 2018-19 में समर्पण यदि कोई हो, तो की सूचना दिनांक 15.03.2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-117 पर अंकित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/532/1/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
 2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
 3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
 4. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
 5. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
 6. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
 7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उ0प्र0।
18. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-07/03/2019

प्रेषण संख्या:- 1-532-2018-1-10-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 011-1-10-2018

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
04 - पंचायती राज संस्थायें
01 - सफाई कर्मचारी

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 01-वेतन | 03-मंहगाई भत्ता | 06-अन्य भत्ते | योग |
|-------|---|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 8549083 126993359 | 0 9077294 | 245523 3369660 | 8794606 139440313 |
| 2 | मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 15144817 129249880 | 99739 5149383 | 4970090 8260882 | 20214646 142660145 |
| 3 | बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 19181417 333607939 | 77963 25835923 | 1209130 10072740 | 20468510 369516602 |
| 4 | बदायूं-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 7786350 275407062 | 1443609 20483662 | 0 7093600 | 9229959 302984324 |
| 5 | फर्रुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 8940321 144220780 | 49687 11065219 | 2168665 5891672 | 11158673 161177671 |
| 6 | बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 14569503 298219426 | 0 23720110 | 1598934 9301945 | 16168437 331241481 |
| 7 | आजमगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 23317149 488931231 | 0 51466696 | 0 14776832 | 23317149 555174759 |
| 8 | अयोध्या-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 22181634 188223345 | 0 11910106 | 1821666 6717549 | 24003300 206851000 |
| 9 | ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 10758042 154195477 | 83506 12461350 | 4766662 8656550 | 15608210 175313377 |
| 10 | कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 18936017 186347736 | 14195 15208709 | 1913373 7064183 | 20863585 208620628 |
| 11 | सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 14000000 359566716 | 0 32753993 | 0 9473158 | 14000000 401793867 |
| 12 | महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 5000000 82977388 | 0 7691884 | 3100000 5178254 | 8100000 95847526 |
| 13 | अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 6889763 115900229 | 28028 8761575 | 123895 3061241 | 7041686 127723045 |
| 14 | अमरोहा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 1452313 181494144 | 1760026 13110977 | 0 4107775 | 3212339 198712896 |
| 15 | हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 1250000 63851971 | 550000 5608870 | 0 2044201 | 1800000 71505042 |

07-03-2019, 11:11

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 01-वेतन | 03-मंहगाई भत्ता | 06-अन्य भत्ते | योग |
|-------|--|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 2126278 30746954 | 47464 2135947 | 265354 1198707 | 2439096 34081608 |
| | योग | वर्तमान प्रगामी | 180082687 3159933637 | 4154217 256441698 | 22183292 106268949 | 206420196 3522644284 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बीस करोड़ चौसठ लाख बीस हजार एक सौ छियानवे
रूपया तीन अरब बावन करोड़ छब्बीस लाख चौवालीस हजार दो सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- चौरासी

(बृजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी